भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3548

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (शक)

पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रमों का पुन:सृजन

†3548.श्री काली चरण सिंह:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स और उन्नत विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के पाठ्यक्रमों का पुनः सृजन करने और अद्यतन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्रमाणन-पश्चात् रोजगार, नौकरी में बने रहने और प्लेसमेंट के परिणामों का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित, प्रमाणित और रोजगार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, वर्ष-वार और क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) पीएमकेवीवाई-प्रमाणित अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसरों और दीर्घकालिक रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए उद्योग साझेदारी, प्रशिक्षुता, जॉब पर प्रशिक्षण और प्लेसमेंट संपर्कों को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास स्कीम (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन एवं पुनः कौशलीकरण प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2022-23 से लागू पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, उद्योग की आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स आदि जैसे उभरते और नवयुगीन पाठ्यक्रमों

में प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उभरती प्रौद्योगिकी की मांगों को पूरा करने के लिए, 600 से अधिक नवयुगीन और भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत देशभर में लगभग 5.44 लाख उम्मीदवारों को नवयुगीन और भविष्योन्मुखी जॉब रोल्स में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ख) एवं (ग) पीएमकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित योजना के पहले तीन चरणों - पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन का आकलन किया गया। पीएमकेवीवाई के इन चरणों में, एसटीटी में प्रमाणित 56.89 लाख उम्मीदवारों में से 24.37 लाख उम्मीदवारों को नियोजन प्राप्त हुआ, जिससे कुल नियोजन दर 42.8% हो गई। पीएमकेवीवाई 4.0, जो वित्त वर्ष 2022-23 से कार्यान्वित हो रही है, का उद्देश्य प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाना है और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) द्वारा उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित करना है।

अक्टूबर 2020 में नीति आयोग द्वारा कई राज्यों में पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94% नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अधिक संख्या में नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखे गए और आरपीएल घटक के तहत प्रशिक्षित 52% उम्मीदवारों को अप्रमाणित समकक्षों की तुलना में अधिक वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अधिक वेतन मिलेगा। साथ ही, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) का तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन भी किया गया। मूल्यांकन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 70.5% उम्मीदवारों को उनके वांछित कौशल क्षेत्र में नियुक्ति मिली।

इसके अतिरिक्त, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफ़एम) द्वारा वर्ष 2025 में किए गए पीएमकेवीवाई 4.0 के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में पाया गया कि पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) उम्मीदवारों के रोजगार परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रशिक्षण से पहले नियोजित और स्व-नियोजित उत्तरदाताओं का संयुक्त हिस्सा 26.6% था, जो प्रशिक्षण के बाद बढ़कर 45.4% हो गया, जो 18.8% अंकों की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। साथ ही, 41.4% एसटीटी उम्मीदवारों और 48.9% आरपीएल उम्मीदवारों ने पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण और प्रमाणन के बाद अपनी आय में वृद्धि दर्ज की।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30.06.2026 तक) के दौरान पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों की वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध I** में दी गई है और क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध II** में दिया गया है।

(घ) पीएमकेवीवाई 4.0 एक मांग आधारित स्कीम है और इसमें राज्यवार धनराशि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (30.06.2026 तक) के दौरान पीएमकेवीवाई 4.0 के कार्यान्वयन के लिए आवंटित और जारी की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी की गई धनराशि
2023-24	1,558.00	920.00	510.52
2024-25	1,938.30	1,538.00	1,538.00
2025-26	1,915.00	1,100.00	265.57
2026-27	1,400.00	-	78.28
कुल	**6,811.30**	**3,558.00**	**2,392.37**

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमकेवीवाई 4.0 के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वित्त वर्ष-वार निधियों के उपयोग का ब्यौरा **अनुबंध III** में दिया गया है।

(ङ) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, देश में गुणवत्तापूर्ण कौशलीकरण प्रदान करने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के माध्यम से प्रशिक्षण को मानकीकृत किया गया है, जिससे पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो गए हैं। उद्योग-अग्रणी सेक्टर कौशल परिषदें (एसएससी) उद्योगों के साथ मिलकर कौशल अंतराल की पहचान करती हैं, पाठ्यक्रम विकसित करते हैं, योग्यता मानक परिभाषित करते हैं और एनएसक्यूएफ के अनुरूप प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन की देखरेख करते हैं। एक प्रमुख सुधार उद्योगों के माध्यम से ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) का एकीकरण है, जिससे वास्तविक उद्योग अनुभव सुनिश्चित होता है। इसके अलावा, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप जॉब रोल्स विकसित करने के लिए पंद्रह से अधिक उद्योगों को अवार्डिंग बॉडी (एबी) के रूप में नामित किया गया है, जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईबीएम, बजाज फिनसर्व, माइक्रोसॉफ्ट आदि। उद्योगों के सहयोग से, कौशल युक्त उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उद्योगों को स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) का शुभारंभ किया है, जो एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है और कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता प्रणालियों को आपस में जोड़कर सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक आजीवन पहुंच प्रदान करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिससे संभावित नियोक्ताओं को उपयुक्त कौशल वाले उम्मीदवारों की पहचान करने और उनसे संपर्क करने में सहायता मिलती है। सिद्ध उम्मीदवारों को संभावित नियोक्ताओं और संस्थानों से जोड़कर रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच को भी सुगम बनाता है।

अनुबंध ।

"पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रमों का पुन: सृजन" के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3548 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30.06.2026 तक) के दौरान पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वित्त वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	वित्त वर्ष-23-24		वित्त वर्ष-24-25		वित्त वर्ष-25-26		वित्त वर्ष-26-27	
	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	648	131	909	939	30	0	337	0
आंध्र प्रदेश	32,449	19,163	35,471	23,085	3,094	3,759	6,930	1,705
अरुणाचल प्रदेश	4,152	705	10,054	5,934	125	510	74	0
असम	38,190	17,278	75,182	46,316	5,902	7,609	8,106	1,522
बिहार	23,613	12,506	99,982	54,471	4,451	13,039	2,812	1,080
चंडीगढ़	319	253	628	512	148	112	195	113
छत्तीसगढ	8,385	4,956	16,452	10,377	490	834	325	80
दिल्ली	10,686	6,149	12,277	8,441	2,769	2,701	493	150
गोवा	183	26	236	305	12	0	0	8
गुजरात	19,975	8,941	39,762	27,300	949	1,820	1,189	470
हरियाणा	27,411	12,966	75,942	50,803	8,308	15,887	1,509	583
हिमाचल प्रदेश	5,348	3,644	19,341	12,843	3,582	3,479	537	322
जम्मू और कश्मीर	28,895	15,280	85,557	68,307	4,689	8,523	3,306	930
झारखंड	8,796	5,321	30,034	17,835	1,785	3,434	460	270
कर्नाटक	13,025	6,631	69,486	32,251	7,339	22,515	2,279	870
केरल	8,832	4,416	10,449	5,427	1,118	1,268	192	174
लद्दाख	445	247	312	345	0	17	0	0
मध्य प्रदेश	34,884	19,849	2,59,871	1,47,966	16,686	45,163	14,322	2,562
महाराष्ट्र	35,284	16,746	75,368	45,334	8,180	13,360	1,780	961
मणिपुर	2,879	572	20,798	13,124	1,067	1,711	412	170
मेघालय	2,502	1,024	7,938	3,952	1,168	1,150	1,244	123
मिजोरम	3,533	1,055	6,871	3,586	1,384	1,342	395	115
नागालैंड	3,830	1,269	7,299	4,311	662	905	1,578	575
ओडिशा	21,457	12,296	26,231	16,399	2,189	2,522	815	688
पुदुचेरी	1,556	1,087	3,096	1,756	646	745	708	26
पंजाब	11,836	6,377	1,06,699	79,907	10,259	16,966	13,208	8,095
राजस्थान	23,564	11,379	2,80,156	2,03,959	10,856	36,673	736	206
सिक्किम	2,802	714	2,874	1,041	0	228	50	47
तमिलनाडु	34,533	19,093	85,689	62,587	10,786	16,178	3,640	2,455
तेलंगाना	15,390	10,885	22,188	16,038	6,344	5,829	2,660	652
दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	301	107	1,407	883	75	337	54	58
त्रिपुरा	5,081	2,719	14,363	8,995	1,906	1,724	2,711	785
उत्तर प्रदेश	71,771	35,731	4,63,503	3,10,748	28,823	63,747	10,834	3,250
उत्तराखंड	11,669	6,442	35,364	22,470	3,650	5,316	562	460
पश्चिम बंगाल	25,768	12,157	36,410	22,231	3,916	5,277	1,301	742
कुल	**5,39,992**	**2,78,115**	**20,38,319**	**13,30,778**	**1,53,388**	**3,04,680**	**85,754**	**30,247**

अनुबंध II

"पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रमों का पुन: सृजन" के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3548 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30.06.2026 तक) के दौरान पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों की सेक्टर-वार और वित्त वर्षवार संख्या नीचे दी गई है:

सेक्टर	वित्त वर्ष-23-24		वित्त वर्ष-24-25		वित्त वर्ष-25-26		वित्त वर्ष-26-27	
	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित	प्रशिक्षित	प्रमाणित
एयरोस्पेस और विमानन	135	30	3,912	2,176	200	269	0	0
कृषि	13,186	6,122	1,05,478	62,384	3,147	5,416	15,964	10,411
परिधान	58,810	30,676	1,37,240	1,08,298	3,984	7,568	1,528	655
ऑटोमोटिव	14,162	5,842	71,197	48,458	1,803	8,799	4,410	217
बैंकिंग, वित्त सेवाएं और बीमा	1,882	531	3,785	1,935	483	429	83	0
सौंदर्य और स्वास्थ्य	34,287	18,613	1,23,668	90,934	7,813	12,631	1,175	360
पूंजीगत माल	8,522	4,467	20,994	11,872	3,748	4,906	1,959	197
निर्माण	15,095	5,587	53,391	29,697	2,331	5,394	8,891	3,226
घरेलू श्रमिक	0	0	0	0	0	0	294	0
इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	61,333	26,321	4,85,201	3,05,070	24,642	66,738	7,669	1,475
खाद्य प्रसंस्करण	11,172	4,858	44,538	29,510	1,746	1,762	6,021	1,890
फर्नीचर और फिटिंग	5,405	2,644	3,805	2,013	675	612	71	19
रत्न और आभूषण	4,237	3,634	5,886	4,780	0	86	0	0
ग्रीन जॉब्स	21,009	12,193	40,699	30,521	4,847	6,980	3,505	1,196
हस्तशिल्प और कालीन	13,174	5,981	2,22,628	1,73,801	7,925	22,734	910	1
हेल्थकेयर	17,279	12,865	92,260	48,789	8,168	27,558	2,881	262
हाइड्रोकार्बन	10,557	7,276	7,062	5,822	627	1,107	0	0
बुनियादी ढांचा उपकरण	1,486	887	2,569	1,927	157	514	29	0
उपकरण स्वचालन निगरानी और संचार	4,126	2,343	11,459	7,888	142	593	85	21
लोहा और इस्पात	6,221	1,922	16,569	13,774	103	461	3,904	103
आईटी / आईटी-आईटीईएस	80,863	41,320	1,80,082	93,672	23,224	34,371	10,779	2,149
चमड़ा	7,368	5,160	13,129	8,739	1,368	3,756	2,602	1,927
लाइफ साईन्स	4,903	2,919	19,788	10,633	1,514	4,110	0	0
लॉजिस्टिक्स	18,657	9,525	28,323	17,607	3,701	4,832	700	573
प्रबंध	27,741	18,978	41,475	27,952	18,144	23,689	3,432	2,754
मीडिया और मनोरंजन	22,892	12,549	93,331	59,418	12,056	23,165	449	179
खनन	489	292	2,756	2,404	31	63	90	59
दिव्यांगजन	0	0	1,216	914	0	57	0	0
प्लंबिंग	5,519	2,667	6,640	5,112	420	638	624	139
पावर	4,637	1,986	25,743	13,873	522	4,788	425	40
रिटेल	743	242	9,609	7,085	640	662	35	33
रबड़	5,562	3,363	7,743	4,408	838	1,263	1,933	1,272
खेल	2,298	1,640	3,591	2,470	302	375	20	0
दूरसंचार	27,073	13,789	90,258	55,062	10,723	16,129	2,409	793
वस्त्र और हथकरघा	5,628	2,834	16,557	13,078	253	832	736	0
पर्यटन और आतिथ्य	23,541	8,059	45,737	28,702	7,111	11,393	2,141	296
कुल	**5,39,992**	**2,78,115**	**20,38,319**	**13,30,778**	**1,53,388**	**3,04,680**	**85,754**	**30,247**

अनुबंध III

"पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रमों का पुन: सृजन" के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3548 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30.06.2026 तक) के दौरान पीएमकेवीवाई 4.0 के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वित्त वर्षवार निधियों के उपयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	वित्त वर्ष-23-24	वित्त वर्ष-24-25	वित्त वर्ष-25-26	वित्त वर्ष-26-27
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.84	-	-
आंध्र प्रदेश	31.76	15.95	17.02	2.17
अरुणाचल प्रदेश	5.02	5.41	1.05	-
असम	39.59	42.21	17.84	0.42
बिहार	25.05	62.33	7.21	0.49
चंडीगढ़	0.47	0.57	0.00	-
छत्तीसगढ	10.77	8.37	5.88	0.06
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.27	0.90	-	0.01
दिल्ली	11.72	19.50	1.58	9.73
गोवा	0.24	0.07	-	-
गुजरात	13.06	18.79	0.97	0.04
हरियाणा	24.05	58.23	6.82	0.62
हिमाचल प्रदेश	6.54	14.46	5.57	0.28
जम्मू और कश्मीर	32.53	69.30	3.49	0.89
झारखंड	12.22	19.71	1.02	0.76
कर्नाटक	13.59	33.19	3.73	0.08
केरल	7.17	4.36	2.67	0.16
लद्दाख	0.80	0.59	-	-
मध्य प्रदेश	43.17	205.84	26.98	3.67
महाराष्ट्र	32.09	44.44	6.05	1.01
मणिपुर	5.16	10.08	19.81	0.19
मेघालय	2.92	4.36	(1.24)	0.08
मिजोरम	2.61	2.75	3.97	0.19
नागालैंड	3.14	4.27	1.43	0.06
ओडिशा	17.16	14.31	3.04	0.25
पुदुचेरी	2.11	1.24	0.00	-
पंजाब	22.42	104.17	8.88	0.51
राजस्थान	58.45	292.42	34.92	2.53
सिक्किम	3.01	1.26	0.09	-
तमिलनाडु	36.13	63.08	4.96	0.41
तेलंगाना	19.69	11.07	4.27	0.87
त्रिपुरा	5.32	8.94	1.83	0.28
उत्तर प्रदेश	79.06	352.64	64.90	5.52
उत्तराखंड	12.82	26.37	2.26	0.15
पश्चिम बंगाल	17.98	16.28	9.80	0.11
